अब खत्म भी करें यह बहसः राजद्रोह पर विधि आयोग की सिफारिश

कुछ सुरक्षात्मक उपायों के साथ, राजद्रोह के अपराध को दंडात्मक कानून में बनाए रखने की विधि आयोग की सिफारिश मौजूदा समय की उस न्यायिक और राजनीतिक सोच के खिलाफ है जो यह मानती है कि देश को अब इस औपनिवेशिक अवशेष की जरूरत नहीं। राजद्रोह को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा 124A का उद्देश्य ऐसे भाषण या लेखन को दंडित करना है जो कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करे या पैदा करने की कोशिश करे, या असंतोष भड़काए या भड़काने की कोशिश करे। इसकी वैधता काफी समय पहले 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी थी, मगर इस शंका के साथ कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर संवैधानिक रूप से स्वीकार्य पाबंदी होगी। यह वैधता केवल उसी सूरत में थी जब अपराध को उन शब्दों तक ही सीमित रखा जाए जिनमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति हो। हालांकि, कानून विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि पैनल की यह रिपोर्ट इस बात पर विचार करने में नाकाम रही है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का न्यायिक-विवेक तब से लेकर अब तक कितना लंबा सफर तय कर चुका है। पिछले साल राजद्रोह के लंबित मामलों को स्थगित रखते हुए, अदालत ने टिप्पणी की थी कि 'धारा 124A की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है।' केंद्र सरकार ने भी इस प्रावधान को दोबारा जांचने और इस पर पुनर्विचार करने का फैसला किया था। वक्त आ गया है कि मौलिक अधिकारों, खासकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पर किसी पाबंदी की वैधता के परीक्षण के लिए इस प्रावधान पर हाल के सिद्धांतों की रोशनी में विचार किया जाए। अपनी अति-व्यापक प्रकृति को देखते हुए, राजद्रोह की परिभाषा इस तरह की जांच-परख में ठहर नहीं पाएगी।

आयोग ने राजद्रोह के बारे में अमूमन पेश की जाने वाली इन दो चिंताओं के निवारण की कोशिश की हैः बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता। उसने इस घिसी-पिटी दलील को दोहराया है कि किसी कानून का दुरुपयोग उसे वापस लेने का आधार नहीं है। हालांकि, आयोग जिस बात पर विचार करने में विफल रहा वो ये है कि कानून की किताबों में इसका बना रहना मात्र इसके अनुचित इस्तेमाल (जो अक्सर मतभेद को दबाने और आलोचकों को जेल में डालने के सुचिंतित इरादे के रूप में सामने आता है) की भारी संभावना अपने में समेटे हुए है। पूर्व-अनुमति को आवश्यक बनाने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इस बात को लेकर संदेह है कि इतने भर से राजद्रोह के मामलों में कमी आएगी। इसके अलावा, पैनल ने यह दलील दी है कि किसी चीज का औपनिवेशिक-युगीन प्रावधान होना उसे त्याग देने का आधार नहीं है। उसने देश में विभिन्न उग्रवादी व अलगाववादी आंदोलनों व प्रवृत्तियों के साथ-साथ 'कट्टरपंथ के प्रचार-प्रसार में सोशल

मीडिया की लगातार बढ़ती भूमिका'का जिक्र करते हुए दंडात्मक कानून में राजद्रोह को बनाए रखने को उचित ठहराया है। लेकिन यह इसे बनाए रखने की पर्याप्त वजह नहीं हो सकती, क्योंकि विभाजनकारी दुष्प्रचार, हिंसा भड़काने और सामाजिक समरसता प्रभावित करने के आरोपों को दूसरे दंडात्मक प्रावधानों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। दरअसल, सरकार को निशाना बनाने वाले भाषण या लेखन को दंडित करने के बजाय, नफरती भाषण के खिलाफ एक कारगर कानूनी ढांचे की जरूरत ज्यादा है। इस रिपोर्ट के बावजूद, सरकार को राजद्रोह के प्रावधान को खत्म करने पर विचार करना चाहिए।

राजद्रोह कानून IPC 124A

मुद्दा क्या है?

- गृह मंत्रालय ने विधि आयोग से धारा 124 A के उपयोग की जांच करने का अनुरोध किया था।
- उसी पर विधि आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

यह कानून क्या है?

- 1860 की मैकाले की मूल IPC में यह शामिल नहीं था।
- 1870 में संशोधन कर शामिल किया।
- वर्तमान में IPC की धारा 124A के रूप में है।
- भारत सरकार के प्रति घृणा, असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास करना।

विधि आयोग ने क्या कहा?

- रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि दुरुपयोग की बात सही है किंतु यह इसे हटाने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं देता है।
- रिपोर्ट में हिंसा भड़काने को भी राजद्रोह में शामिल करने को कहा गया है।
- रिपोर्ट में सजा बढ़ाने को भी कहा गया है।
- रिपोर्ट में आयोग ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है।
2. इसके तहत अधिकतम सजा उम्रकैद की है।
3. इसे मैकाले द्वारा प्रस्तुत मूल भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1, 2 और 3

(d) कोई भी नहीं

Que. With reference to sedition law, consider the following statements:

1. Sedition is a non-bailable offence.
2. The maximum punishment under this is life imprisonment.
3. It was included in the original Indian Penal Code introduced by Macaulay

How many of the above statements is/are true?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) 1, 2 and 3

(d) None

उत्तर : b

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : 'राजद्रोह तत्कालीन औपनिवेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप कानून था ,किंतु फिर भी भारत के विधि आयोग ने हाल ही में इसको बनाए रखने की सिफारिश की है।' इस कथन के संदर्भ में राजद्रोह कानून का संक्षिप्त विवरण देते हुए विधि आयोग द्वारा राजद्रोह के मुद्दे पर सौंपी गई सिफारिशों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- उत्तर की शुरुआत में राजद्रोह कानून का संक्षिप्त विवरण दें।
- उत्तर के अगले भाग में प्रश्न में दिए गए कथन को स्पष्ट करें और साथ ही में सिफारिशों का वर्णन करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।